

नाकिलरहीर अवश्यत रूप ले पेश हो। पत्रावली
वास्ते नाकिल दिनांक 2/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

2 ⁸/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार
दिनांक 12/11/24 को पेश हो।

12/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी हाजिर।
आज दिनांक तक तामिल लौटकर नहीं आई है।
तामिल पुनः पेश करें व आगामी तारीख पेश तक
रजिस्टर्ड तामिल रसीद पेश करें। पालना के अभाव में
वाद-पत्र/प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया जायेगा।
पत्रावली वास्ते तामिल दिनांक 12/2/24 को पेश हो।

12 ²/₂₄ पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर। उपखण्ड अधिकारी, सीकर
आशुक्रिया दिनांक 8/5/24
12/11/24 लखन सो. प्रार्थी हाजिर है। अधि. प्रार्थी द्वारा पूर्व में नाकिल
वस्ति पेश कर दी गई है। आशुक्रिया के उम्मात्रुमार संशोधित
किया जाता है। अप्रार्थी स. ग. 15 के नाकिल हो चुके हैं,
बाबपूर नाकिल हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी स. ग. 15 के
खिलाफ एम्बरका कार्यवाही प्रमत्त में लपटा जाती है।
व हम अधिवक्ता एम्पसीप लुनी गई। व हम परमन
किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया। मूल पत्र वटवारे का है। हॉराने विवाहित
भूमि के मॉके के स्थिति में परिवर्तन करने तथा हिस्सा विशेष
भूमि का केंचान करने पर प्रार्थी के द्वि. पुत्रावलि हो लगे है।
अतः आदेश प्रार्थी के स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी गण
को अरिपे अस्पष्ट निषेधाती से पाबन्ध किया जाता है कि वे
गार्होने वट विवाहित भूमि स. ग. 885/48, 887/48
कुल किरा 02 रुपय रकम 1.65 पस वामे गाम डेवीपुरा
पटवार हल्का गोरुलपुरा वटसीमक जिला रानीमक प्रार्थी पर
मॉके के अचादिपति बनाये रखे व हिस्सा विशेष भूमि का
केंचान नहीं करे। पत्रावली केसल कुमार होम-गव. से 3 मई,
24 दिने हस्त है। निर्णय आज ही दस्तावर से पुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर